पंजीकृत डाक से

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/पालिसी सं.07/2005

28 मार्च, 2005

सभी आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

टियर I पूंजी (स्वाधिकृत निधि) का परिकलन - आस्थगित कर आस्तियां

बैंक को ज्ञात हुआ है कि कुछ आवास वित्त कंपनियां तुलन-पत्र में दर्शाई मद आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के शेष को अपनी टियर-I पूंजी या स्वाधिकृत निधि के भाग स्वरूप दर्शा रही हैं ।

2. एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आवास वित्त कंपनी की टियर-I पूंजी में उसके तुलन-पत्र में किसी मूर्त आस्ति को शामिल किए बिना डीटीए के सृजन से वृद्धि होती है । अतः डीटीए को टियर-I पूंजी/स्वाधिकृत निधि के परिकलन के लिए शामिल नहीं किया जाए ।

भवदीय,

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग